

# नगर निगम, जयपुर ग्रेटर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनुज्ञा पत्र

लाइसेंस/ आवेदन नं. TRADE/2021-22/9837  
लाइसेंस अवधि 10 YEAR (Valid\_Upto:31-MAR-2032) जारी दिनांक 08-AUG-2022  
श्री/श्रीमती (आवेदक) BIPUL KUMAR JHA  
प्रतिष्ठान का नाम REBEL FOODS PRIVATE LIMITED  
प्रतिष्ठान का पता S-38,39 JDA MARKET AMRAPALI CIRCLE VAISHALI NAGAR  
JAIPUR , WARD NO 18, JAIPUR GREATER, JAIPUR, RAJASTHAN-302021  
व्यवसाय का विवरण RESTAURANT (A.C.) UPTO 50 CHAIRS

## लाइसेंस हेतु शर्तें

- लाइसेंस उपरोक्त वर्णित व्यवसाय एवं अवधि हेतु ही मान्य है। अवधि समाप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा लाइसेंस फीस के अलावा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत राशि शांति वसूल की जायेगी।
- होटल में उपलब्ध समस्त प्रकार के कमरों के किराये की सूची प्रदर्शित होनी चाहिए तथा रेस्टोरेंट में उपलब्ध खाने-पीने के समस्त खाद्य पदार्थों की विक्रय दर प्रदर्शित होनी चाहिए।
- होटल एवं रेस्टोरेंट में धूम्रपान हेतु पृथक से स्थान चिह्नित होना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्र धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र होना चाहिए।
- प्रतिबन्धित पोलिथीन कैरी बैग्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, पाये जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रतिष्ठान में उत्पन्न होने वाले गीले एवं कचरे को पृथक - पृथक ढक्कनदार कचरा पात्र में संग्रहित कर सही प्रकार से निस्तारण करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- प्रतिष्ठान में पीने व खाद्य पदार्थ निर्माण हेतु साफ व शुद्ध पेयजल का उपयोग करना होगा। यदि संस्थान में स्वयं का पानी का स्रोत है तो अधिकतम छः माह में पानी की बायोलॉजिकल व केमिकल ( जैविक व रासायनिक) जांच मान्यता प्राप्त संस्थान से करवाकर प्रमाण पत्र रखना होगा।
- खाने पीने की चीजों को ढक कर, ढंडी व सूखी जगह पर रखना होगा।
- होटल, बर्तन, फर्नीचर व जो आदमी काम करते हैं उनके कपड़ों की सफाई का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिये एवं निर्माण स्थल पर एप्रन, केप व दस्तानों आदि का उपयोग करना होगा।
- प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थ बनाये जाने वाली सामग्री अवधिपार नहीं होनी चाहिए व कच्चा मांस /चिकन/मछली आदि कच्य की गई सामग्री का केश प्रेमो प्रतिष्ठान पर रखना होगा।
- फूड हैंडलर (खाना बनाने व सर्व करने वाले) किसी भी प्रकार की छूत की बिमारी (जैसे टाइफाइड, पैराटाइफाइड, हैजा, स्वाइन फ्लू, चिकनपॉक्स, टी.बी.) से ग्रसित नहीं होना चाहिए एवं इनका प्रत्येक छः माह पर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार भी जन हित में कर्मचारियों की अतिरिक्त शारीरिक जांच करवानी होगी।
- प्रतिष्ठान में एक निरीक्षण पुस्तिका रखनी होगी व समय समय पर निरीक्षण के दौरान दिये जाने वाले निर्देशों की पालना तीन दिवस में करनी होगी।
- प्रतिष्ठान में मक्खी मच्छर व अन्य कीटों को भगाने हेतु समुचित व्यवस्था रखनी होगी।
- प्रतिष्ठान में ग्राहकों एवं कर्मचारियों के लिए साफ व स्वच्छ शौचालयों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- परिसर में आपदा प्रबंधन एवं अग्निशमन सम्बन्धी उपकरण एवं समुचित जानकारी सहज, सट्टा उपलब्ध एवं अंकित होनी चाहिए।
- लाइसेंस को प्रतिष्ठान स्थल एवं प्रतिष्ठान की वेबसाइट में ऐसी जगह प्रदर्शित किया जाये, जो सहज दृश्य हो।
- प्रतिष्ठान में ग्राहकों हेतु एक शिकायत पुस्तिका संधारित करनी होगी अंकित शिकायत का समाधान कर शिकायतकर्ता को अवगत कराना होगा, शिकायत पुस्तिका का निरीक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 340 एवं इसके तहत बने उपनियम की समस्त शर्तों की पालना करेंगे, किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह अनुज्ञा पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
- यह अनुज्ञा पत्र रुफ टॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है।

अनुज्ञापन अधिकारी

नगर निगम, जयपुर ग्रेटर



Signature valid

Digitally signed by Rashmi Kankaria  
Designation: CHO  
Date: 2022.08.08 11:52:08 IST  
Reason: Approved